न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/04/2025	2025/126	02.06.2025	17.11.2025

1. सन्तरा आयु 61 वर्ष पुत्री स्व० समजीलाल पोत्री स्व० रेवडा पत्नी सिब्बन हाल निवासी ग्राम मोरेडा कला तहसील रैणी जिला अलवर राज०
2. हीरा आयु 60 वर्ष पुत्री स्व० रामजीलाल पोत्री स्व० रेवडा पत्नी जयराम हाल निवासी ग्राम मोरेडा कलां तहसील रैणी जिला अलवर राज०
3. लाली आयु 58 वर्ष पुत्री स्व० रामजीलाल पोत्री स्व० रेवडा पत्नी श्रीचन्द हाल निवासी नई बस्ती दिवाकरी तहसील व जिला अलवर राज०

—अपीलाण्ट

बनाम

1. नायाब तहसीलदार मालाखेडा, तहसील मालाखेड़ा जिला अलवर राजस्थान।
2. श्रीमति चम्पो आयु करीब 84 वर्ष पत्नी स्व० रामजीलाल निवासी ग्राम मोरेडा कलां तहसील रैणी जिला अलवर राज०

—असल रेस्पोडेण्ट

3. रिंकू आयु 25 वर्ष पुत्र स्व० गुडडी नवासा स्व० रामजीलाल
4. जयसिंह आयु 20 वर्ष पुत्र व० गुडडी नवासा स्व० रामजीलाल
5. सपना आयु 18 वर्ष पुत्री स्व० गुडडी नवासी स्व० रामजीलाल
6. रजनी आयु वर्ष पत्नी धर्मेन्द्र पुत्री स्व० गुडडी नवासी स्व० रामजीलाल हाल निवासी रैणी तहसील रैणी जिला अलवर राज०

—तरतीवी रेस्पोडेण्ट

अपील विरुद्ध नयाब तहसीलदार मालाखेडा आदेश दिनांक 15.06.1981 नामा0 सं0 435 वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान —वकील अपी0
02—श्री दीपक मीना (पैरोकार सरकार) —राजकीय अधिवक्ता

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार मालाखेड़ा के निर्णय दिनांक 15.06.1981 नामान्तकरण संख्या 435 वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेड़ा स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आज्ञा नायब तहसीलदार मालाखेड़ा दिनांक 15.06.1981 बाबत

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

नामांतकरण संख्या 435 वाके ग्राम बालेटा मिन अपीलान्ट के पीछे से बालाबाला अपीलान्ट की नाबालिग अवस्था में स्वीकार किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्ट को प्रथम बार दिनांक 29.07.2024 को हुई जबकि मिन अपीलान्ट ने पटवारी हल्का से अपीलाधीन आराजी में अपने हिस्से की बाबत क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए सम्पर्क किया तो उन्होने राजस्व रिकार्ड का अवलोकन कर बताया कि उसमें तुम्हारा नाम नही है जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन इंतकाल की नकल व अन्य दस्तावेजात की नकल लेने हेतु प्रार्थना–पत्र पेश किया जो नकल दिनांक 07.08.2024 को प्राप्त हुई उसके उपरान्त मिन अपीलान्टान ने वकील साहब से सलाह व मश्वरा किया एवं रूपयो का इंतजाम किया जिससे यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारणों से हुई है। इसलिए आज्ञा दिनांक 15.06.1981 से जानकारी की तारीख दिनांक 29.07.2024 तक का समय धारा 5 मियाद अधिनियम के तहत माफ किया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र पेश है।

रेवडा उर्फ रेवडया के पांच पुत्र मूल्या, रामकिशोर, शोनारायण, गंगाधर व रामजीलाल हुए। रामजीलाल का स्वर्गवास अपने पिता रेवडा के स्वर्गवास से पूर्व दिनांक 05.08.1970 को हो गया था तथा रामजीलाल के एक पत्नी चमपो एवं चार पुत्री अपीलान्ट संतरा, हीरा, लाली व गुडडी हुई। उक्त गुडडी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 3ला.6 है। इस प्रकार मिन अपीलान्टान मृतक खातेदार रेवडा की पोत्री व असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की पुत्रियां है तथा तरतीवी रेस्पाडेन्ट सं. 3ला.6 रामजीलाल की नवासी है और रेवडा पडनाना है।

मुताबिक सजरा रेवडा की खातेदारी की आराजी में बहिस्सा बराबर अर्थात 1/5–1/5 हिस्सा उसके पांचो वारिसान पुत्रान मूल्या, रामकिशोर, श्योनारायण, गंगाधर, मृतक रामजीलाल को विरासत में प्राप्त हुआ चूँकि रामजीलाल का स्वर्गवास रेवडा की फौतगी से पूर्व ही हो चुका था इसलिए रामजीलाल के 1/5 हिस्सा में से प्रत्येक अपीलान्ट व रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को 1/5–1/5 व तरतीवी रेस्पोंडेंट संख्या 3ला.6 को 1/5 हिस्सा विरासत में प्राप्त हुआ है। किन्तु रेस्पाडेन्ट सं. 1 द्वारा 1/5 हिस्सा बाबत विवादित नामांतकरण अकेले रंस्पाडेन्ट संख्या 2 के नाम स्वीकार किया गया है, जो विधि विरूद्ध है एवं काबिल निरस्तनीय है।

विवादित आराजी हिन्दू परिवार की संयुक्त सब्जे काश्त की पैतृक आराजी है। जिस आराजी में अपीलान्ट एवं तरतीवी रेस्पाडेन्ट संख्या 3ला.6 का भी हिस्सा है जिस स्थिति में असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 को अपने नाम इंतकाल दर्ज कराने का अधिकार नहीं था। उक्त इंतकाल बिना अधिकार के कराया गया है जिससे रेस्पाडेन्ट संख्या 1 को कोई अधिकार किसी प्रकार के प्राप्त नहीं होते है जिस स्थिति में इंतकाल दर्ज किया जाना न्याय संगत नहीं है। विवादित आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा है किन्तु इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व वारिसान की बाबत कोई जांच नही की। तथा इंतकाल की कुल कार्यवाही इंतकाल के नियमों के अनुरूप नहीं की गई है जिस स्थिति में भी इंतकाल निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिनस्थ न्यायालय ने इंतकाल स्वीकार करने से पूर्व ना मौके की जांच की और नाही वारिसान की बाबत कोई जानकारी की तथा कानूनन अधिनस्थ न्यायालय को नोटिस जारी कर मौके एवं वारिसान की जांच करनी चाहिए थी उसके बाद ही इंतकाल की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। परन्तु बालाबाला असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 के प्रभाव में आकर विवादित इंतकाल स्वीकार किया गया है जो मिन अपीलान्ट एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 3ला.6 के हक हकूको के मुकाबले शून्य है एवं प्रभावहीन होने के कारण काबिल निरस्तनीय है।

उपरोक्त कुल विवादित आराजी से असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 का कोई सम्बन्ध वो सरोकार किसी प्रकार का नहीं है। उक्त गलत इंतकाल की आड में रेस्पाडेन्ट संख्या 2 मिन अपीलान्ट को जबरन आराजी मुतनाजा से बेदखल करने पर आमादा है जिसका कि उन्हें कोई हक वो अधिकार किसी भी प्रकार का नहीं है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

उपरोक्त प्रकार मौके पर अपीलान्ट का अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त है तथा इसी प्रकार काबिज है अधिनस्थ न्यायालय ने खिलाफ मौका व रिकार्ड अपना इंतकाल स्वीकार किया है जो हर सूरत में काबिल निरस्तनीय है।

उक्त अपील केवल रेवडा से विरासत में प्राप्त 1/5 हिस्सा चम्पो बेवा रामजीलाल के विरूद्ध पेश की जा रही है तथा जिससे अन्य वारिसान के हितों पर कोई प्रभाव नहीं पडता है और नाही उनके हिस्से को चैलेन्ज किया गया है इसलिए उन्हे पक्षकर मुकदमा नही बनाया गया है।

अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त इंतकाल स्वीकार कने से पूर्व अपीलान्टान को कोई सूचना व नोटिस किसी प्रकार का नही दिया तथा अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार नही थी तथा उक्त विधि विरूद्ध स्वीकार किये गये इंतकाल से अपीलान्ट के हित प्रभावित होते है तथा अपीलान्ट का उक्त आराजी में हित निहित हैं और मौके पर कब्जा काश्त है चूँकि अपीलान्ट भी जायज व कानूनी वारिसान है इसलिए अपीलान्ट को अपने हितों की रक्षार्थ अपील दायर करना आवश्यक है जिसकी इजाजत दिया जाना आवश्यक है हेतु अलग से प्रार्थना–पत्र धारा 96 जा०दी० पेश किया जा रहा है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर विद्वान अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा की आज्ञा दिनांक 16.04.2010 इंतकाल संख्या– 435 वाके ग्राम बालेटा तहसील मालाखेडा जिला अलवर रिस्त फरमाया जाकर रेवडा की विरासत का नामंतकरण सभी वारिसान अपीलान्ट व असल रेस्पाडेन्ट संख्या 2 व तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 3ला.6 के नाम बहिस्सा बराबर स्वीकार फरमायी जावे।

राजकीय अधिवक्ता पेरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों के क्रम में निवेदन किया गया है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेडा द्वारा मृतक रेवडा का विरासत नामांतकरण सं. 435 दिनांक 15.06.1981 वाके ग्राम बालेटा में मृतक रेवडा पुत्र काला के वारिसान 5 पुत्रों की विधिवत जाँच की जाकर मूल्या, रामकिशोर, श्योनारायण, मृतक गंगाधर (के पुत्र मल्लड, महेश), मृतक रामजीलाल के वारिस बेवा चम्पो, के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। अपीलान्ट ने अपील में मृतक रामजीलाल के वारिसान उसकी पत्नी चम्पो व चार पुत्रियां संतरा, हीरा, लाली एवं मृतक गुडडी भी कानूनन वारिसान थी परन्तु नामांतकरण सं० 435 में मृतक रामजीलाल के वारिसान में एक मात्र चम्पो विधवा के नाम से ही नामांतकरण तस्दीक किया गया। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील लगभग 44 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई। उक्त तस्दीक शुदा नामांतकरण की जानकारी अपीलांट को पूर्व से ही रही होगी परन्तु लगभग 44 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट ने लगभग 44 वर्ष बाद अपील प्रस्तुत करने का दिन–प्रतिदिन का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है जिससे अपील अपीलांट मियाद बाहर होने के कारण खारिज की जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिंतन मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र 96 सीपीसी पर विचार किया गया। अपीलांट ने कथन किया गया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य नामांतकरण सं० 435 दिनांक 15.06.1981 स्वीकार किया गया तब अपीलांट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया ना ही अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पक्षकार नहीं बनाया गया। उक्त विधि–विरूद्ध किये गये नामांतकरण से अपीलांट के हित प्रभावित होते हैं तथा उक्त विवादित आराजी में अपीलांट के हित प्रभावित हो रहे हैं क्योंकि मृतक रामजीलाल के हम अपीलांट भी जायज एवं कानूनी वारिस हैं। इसलिए अपीलांट को अपने हितों कि रक्षार्थ अपील दायर करना आवश्यक है। अतः प्रार्थना–पत्र 96 जा०दी० स्वीकार करने की कृपा करें। अपीलांट वकील को प्रार्थना–पत्र पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित विरासत नामांतकरण सं० 435 में मृतक रामजीलाल की

अतिरिक्त कलक्टर
अलवर (राज०)

अपीलांट वारिसा होना बताया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामांतकरण करते समय अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया ना ही अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान किया गया जिससे अपीलांट का उक्त विवादित नामांतकरण व आराजी में हित प्रभावित हो रहे हैं। अतः अपीलांट का प्रार्थना–पत्र 96 जा०दी० नियमानुसार स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने की इजाजत दी जाती है।

प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 15.06.1981 के विरूद्व दिनांक 20.08.2024 को पेश की गयी है जो लगभग अपीलान्ट को दिनांक 29.07.2024 को सर्वप्रथम जानकारी होने पर नामांतकरण की नकल आदि प्राप्त कर दिनांक 20.08.2024 को अपील अन्दर पेश की जा रही है मियाद विंदू प्रार्थना–पत्र दफा 5 पेश किया गया है जो लगभग 44 वर्ष के विलम्ब से पेश की गई है परन्तु उक्त विवादित अपीलीय प्रकरण में अपीलांट का हित निहित है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए गुणावगुण पर निर्णय पारित करने का सिद्धांत प्रतिपादित किया हुआ है। अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेड़ा द्वारा आज्ञा दिनांक 15.06.1981 विरासत नामांतकरण सं० 435 वाके ग्राम बालेटा मृतक रेवडा पुत्र काला के वारिसान मूल्या, रामकिशोर, श्योनारायण, मृतक गंगाधर, (के पुत्र मल्लड, महेश), मृतक रामजीलाल के वारिस बेवा चम्पो, के नाम दर्ज व तस्दीक किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृतक रामजीलाल की बेवा चम्पो के नाम से ही नामांतकरण तस्दीक किया गया जबकि मृतक रामजीलाल के हम चार पुत्रियां संतरा, हीरा, लाली, व गुडडी हैं जिसमें गुडडी का स्वर्गवास हो चुका है जिसके वारिसान तरतीवी रेस्पोडेन्ट संख्या 3ला.6 बनाये गये हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विरासत नामांतकरण तस्दीक करते समय वारिसान की मौके पर जाँच किये बगैर एवं हम वारिसान को बगैर सुने ही नामांतकरण तस्दीक कर दिया गया है। विवादित आराजी हिन्दु परिवार की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है जिस आराजी में अपीलांट एवं तरतीवी रेस्पोडेन्ट सं० 3ला.6 का हिस्सा है। ऐसी स्थिति में असल रेस्पोडेन्ट सं 2 के नाम नामांतकरण दर्ज करना अधिनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर हमारे हक हकूक के मुकाबले शून्य एवं प्रभावहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलीय प्रकरण में तहसीलदार मालाखेड़ा से उक्त विवादित नामांतकरण सं० 435 वाके ग्राम बालेटा की तथ्यात्मक रिपोर्ट दिनांक 15.10.2025 के अनुसार मृतक रामजीलाल के वारिसानों में चम्पो देवी बेवा व पुत्रियां संतरा, हीरा, लाली व गुडडी होना अंकित किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर उक्त विवादित नामांतकरण सं० 435 को तस्दीक करने से पूर्व अधिनस्थ न्यायालय मृतक रेवड के वारिसान की जाँच कर एवं अपीलांट व तरतीवी रेस्पोडेंट 3ला.6 को सुनवाई का अवसर दिया जा कर नामांतकरण तस्दीक किया जाना चाहिए था परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नहीं किया गया जबकि उक्त विवादित हिन्दू परिवार की संयुक्त कब्जे काश्त की पैतृक आराजी है जिसमें मृतक रामजीलाल की वारिसान में पुत्रियों के नाम इंतकाल दर्ज किये जाना चाहिए था जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा एकमात्र चम्पो बेवा के नाम ही नामांतकरण दर्ज कर त्रुटि की गई है। उक्त विवादित आराजी में अपीलांट एवं तरतीवी रेस्पोडेंट सं० 3ला.6 का हित निहित होने के कारण अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार मालाखेड़ा नामांतकरण सं० 435 दिनांक 15.06.1981 वाके ग्राम बालेटा मृतक रामजीलाल के वारिसान की हद तक निरस्त किया जाता है अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालाखेड़ा जिला अलवर को प्रतिप्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

मृतक रामजीलाल के वारिसान की नियमानुसार विधिक जांच व परीक्षण कर सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर, अलवर
(राज0)